न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 134/2020
3. उनवान : सरकार जरिये शैफाली दत्त, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. मैसर्स शर्मा स्वीटस, 43/57/01, वरुण पथ, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।
2. श्री रामवतार शर्मा पुत्र श्री प्रभुदयाल शर्मा निवासी शर्मा स्वीटस, 43/57/01, वरुण पथ, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, फर्म मालिक।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक शैफाली दत्त द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 03.06.2013 को शिकायत की जांच हेतु मैसर्स शर्मा स्वीटस के फर्म एवं कारखाने पर कार्यवाही के दौरान 2 घरेलू गैस सिलेण्डर(बीपीसी) जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा वाणिज्यिक स्थल पर घरेलू गैस का अनाधिकृत कब्जे में रखने का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही जवाब पेश किया गया। अतः प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 03.06.2013 को जब्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर(बीपीसी) को अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से वाणिज्यिक स्थल पर कब्जे में रखा जा रहा था। वाणिज्यिक संस्थान पर घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मिलना इस बात को सिद्ध करता है कि घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती अनुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर(बीपीसी) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।